

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

सहरसा, दिनांक 20-9-2023

ज्ञापांक 2890/विधि

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुनः वाद सं०-156/2022 में दिनांक-27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपीलवाद सं०-23/2019 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक टि०पृ०-01 से 10 तक एवं अन्य कागजात-11 से 103 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- संगीता कुमारी, पति-जयप्रकाश कुमार / रीना कुमारी, पति-राजभूषण, सभी सा० व मौजा-अर्राहा टोला पिपराही, वार्ड नं०-08, पो०-भान, थाना-घैलाढ़ जिला-मधेपुरा को सूचमार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
(कोशी प्रमंडल, सहरसा।
20/9/23

अन्य में दिनांक 15.09.2022 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक 19.09.2023 को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
२४/०९/२०२३	<p style="text-align: center;">न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-१५६/२०२२</p> <p style="text-align: center;">संगीता कुमारी.....पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;">--: आदेश :-</p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद संगीता कुमारी, पति-जयप्रकाश कुमार, सा०-अरहा, टोला-पिपराही, वार्ड नं०-०८, थाना-धैलाढ़, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-२३/२०१९ संगीता कुमारी बनाम रीना कुमारी एवं अन्य में दिनांक १५.०९.२०२२ को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।</p> <p>दिनांक १९.०९.२०२३ को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ की कंडिका-१३ में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ३० दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-१७८० दिनांक ०५.०३.२०२० से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से</p>	



संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।” उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा